



---

प्रेस विज्ञप्ति / Press Release

19 जून / June, 2020

---

**सिडबी ने पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भरता निधि के कार्यान्वयन के लिए  
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया**

**SIDBI signs MoU with Ministry of Housing and Urban Affairs for  
implementing PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi**

सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास में संलग्न प्रमुख वित्तीय संस्थान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भरता निधि (पीएम स्वानिधि) के कार्यान्वयन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया है।

Small Industries Development Bank of India (SIDBI), the principal financial institution engaged in the promotion, financing and development of MSMEs has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Ministry of Housing and Urban Affairs for PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi).

सिडबी इस परियोजना का कार्यान्वयक साझेदार होगा और इस क्षमता में यह - एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करेगा, एक अनुकूलित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजना तक पहुँच को सुदृढ़ बनाएगा, संस्थागत पारितंत्र को एकीकृत करेगा और मूल्य श्रृंखला की क्षमता का निर्माण करेगा। सिडबी, सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से ऋणदात्री संस्थानों को क्रेडिट गारंटी की सुविधा भी देगा। अल्पवित्त संस्थाएं (एमएफआई), इस योजना के लिए पहली बार सीजीटीएमएसई प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। इस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि योजना में परिकल्पित प्रक्रियाओं को समर्थ बनाया जा सके।

SIDBI shall be the implementation partner and in this capacity, it shall set up a Project Management Unit, power access to scheme through a customized digital platform, integrate the institutional ecosystem and build capacity of value chain. SIDBI shall also facilitate credit guarantee to lending institutions through Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE). Microfinance Institutions (MFIs) shall be onboarded on CGTMSE

platform for the first time for the scheme. The platform shall also be integrated with National Payments Corporation of India (NPCI) and Unique Identification Authority of India (UIDAI) to enable the processes envisaged in the scheme.

सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मोहम्मद मुस्तफा, आईएएस ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि “हमारा मिशन स्वावलंबन युवाओं, अनछुए / सेवा-वंचित खंडों और भौगोलिक क्षेत्रों के मध्य उद्यमशीलता की संस्कृति को जगाने के अधिदेश को आगे ले जा रहा है जिसमें पिरामिड के आधारस्थ लोग भी शामिल हैं। हम लेनदेन की बेहतर पारदर्शिता और गतिशीलता के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यम पारितंत्र को मजबूत बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों पर जोर दे रहे हैं। 59 मिनट में पीएसबी लोन सिडबी की अगुवाई में ऋण तक पहुँच संबंधी गत्यात्मकता को बदल देने वाली एक ऐसी ही परियोजना थी। सीजीटीएमएसई और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी(एनसीजीटीसी) के प्लेटफार्मों तक पहुँच का डिजिटलीकरण और सरलीकरण करके इसे उधारदाताओं के व्यापक समूह को उपलब्ध कराया गया है। हम देशभर के उन लाखों पटरी के विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडरों), जिनकी आजीविका से जुड़ी गतिविधियाँ कोरोनावायरस प्रकोप के कारण बाधित हो गई हैं, की मदद के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रयास में भूमिका निभाकर बड़े खुश हैं। हम उधारदाताओं के समग्र समुदाय के साथ गहरी भागीदारी करेंगे और इस योजना को सफल बनाने के लिए उनसे सक्रिय सहभागिता का आग्रह करते हैं।”

Speaking on the occasion Shri Mohammad Mustafa, IAS, Chairman and Managing Director of SIDBI said that “Our Mission Swavalamban takes forward the mandate of inducing entrepreneurship culture amongst youth, unserved/ underserved segments and geographies including those at the bottom of pyramid. We have been laying emphasis on digital tools and platforms to strengthen Micro and Small Enterprises ecosystem through improved transparency and speed of transactions. PSB Loans in 59 minutes was another such project led by SIDBI to change the credit access dynamics. Access to CGTMSE and National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) platforms has been digitized, simplified and made available to a wider set of lenders. We are pleased to play a role in this very important national endeavor to help millions of street vendors across the country whose livelihood activities have been disrupted due to the coronavirus outbreak. We shall carry out deep engagement with the entire lending community and urge them to actively participate to make this scheme a success.”

प्रधानमंत्री स्वनिधि एक केन्द्रीय योजना है जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर को कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है, ताकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के बाद वे आत्मनिर्भर होकर उभरने में सक्षम हो सकें और औपचारिक पहुंच के माध्यम से अपनी आजीविका गतिविधि को पुनर्जीवित कर सकें।

PM SVANidhi is a Central Scheme fully funded by Ministry of Housing and Urban Affairs with the objective to facilitate working capital loan to street vendors thus enabling them to emerge self-reliant after impact of COVID-19 pandemic and revive their livelihood activity through formal access to credit.

योजना की मुख्य विशेषताओं में रुपये 10,000 तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी शामिल है। समय पर / जल्दी चुकौती पर इसमें 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान और डिजिटल लेनदेन पर मासिक कैश-बैक प्रोत्साहन और पहले ऋण की समय पर चुकौती पर उच्च ऋण की पात्रता होगी। इस योजना के तहत, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एमएफआई और स्व-सहायता समूह ऋण प्रदान कर सकेंगे। इस योजना में यथा 24 मार्च 2020 तक या उससे पूर्व तक शहरी इलाकों के सड़क विक्रेताओं / फेरीवालों को लक्षित किया गया है, जिसमें आसपास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता भी शामिल होंगे।

The salient features of the scheme include initial working capital of up to Rs. 10,000, interest subsidy on timely/early repayment at the rate of 7 percent, monthly cash-back incentive on digital transactions and higher loan eligibility on timely repayment of the first loan. Under this scheme, Commercial Banks, Regional Rural Banks, Small Finance Banks, Co-operative Banks, Non-Banking Financial Companies, MFIs and Self-Help Groups will be able to provide credit. This scheme will target street vendors/hawkers vending in urban areas, as on or before March 24, 2020, including the vendors of surrounding peri-urban and rural areas.

श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की उपस्थिति में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री संजय कुमार और सिडबी के उप प्रबंध निदेशक श्री वी सत्य वेंकट राव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह भागीदारी सिडबी विजन 2.0 के साथ संरेखित है जो आजीविका और सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता के साथ अभिनव, समावेशी और प्रभाव-उन्मुख पहलों के साथ सीधे तालमेल बिठाती है।

The MoU was signed by Shri Sanjay Kumar, Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) and Shri V. Satya Venkata Rao, Deputy Managing Director of SIDBI in the presence of Hon'ble Minister of State (Independent Charge), MoHUA, Shri Hardeep Singh Puri. The partnership aligns with SIDBI Vision 2.0 which envisions synergizing with innovative, inclusive and impact-oriented initiatives with priority to livelihood and micro enterprises.

**सिडबी के बारे में :** 1990 में अपने गठन के बाद से, सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। चाहे वे पारंपरिक, छोटे घरेलू उद्यमी हों, पिरामिड के सबसे निचले स्तर के उद्यमी हों, या फिर उच्च-स्तरीय ज्ञान आधारित उद्यमी हों, सिडबी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के जीवन को विभिन्न ऋणों तथा विकास कार्यों के माध्यम से प्रभावित किया है।

अधिक जानने के लिए, देखें : <https://www.sidbi.in>

**About SIDBI:** Since its formation in 1990, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental engagements.

To know more, check out: <https://www.sidbi.in>

**मीडिया संपर्क:** नीलाश्री बर्मन, मोबाइल: +91 8879760249, ई मेल: [neelasrib@sidbi.in](mailto:neelasrib@sidbi.in)  
**Media contact:** Neelasri Barman, Mobile: +91 8879760249, E-mail: neelasrib@sidbi.in